फ्रांस में संसदीय और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिश्रित रूप

फ्रांस के पंचम गणतंत्र के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों शासन-व्यवस्थाओं की कसौटियों के आधार पर जाँचना होगा। डोराथी पिकल्स के अनुसार फ्रांस का संविधान दो विरोधी सिद्धान्तों का मिश्रण है — प्रथम सिद्धांत गणतंत्रात्मक संसदीय शासन का है और द्वितीय सिद्धांत अध्यक्षात्मक शासन का।

फ्रांस के संविधान की उन विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है जिनके आधार पर इसे संसदीय एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिश्रण कहा जाता है। ये विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(1) पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि की गई है। सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति को कुछ वैयक्तिक एवं कुछ आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। वैयक्तिक शक्तियों के प्रयोग में मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति को मंत्रियों को नियुक्त करने तथा अपदस्थ करने का अधिकार प्राप्त है।

(2) पंचम गणतंत्र में संसद को सीमित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संसद को संविधान में उल्लिखित विषयों के संबंध में ही कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अन्य विषयों के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण कार्यपालिका डिक्रियों के माध्यम से

करती है।

(3) फ्रांस के पंचम गणतंत्र के अन्तर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य नहीं रहने के बावजूद संसद के प्रथम सदन (राष्ट्रीय सभा) के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय सभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है। इस प्रकार, यह व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से भिन्न है। अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्य न तो कांग्रेस के सदस्य होते हैं और न ही इसके किसी सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके विपरीत, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी हैं और सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी भी।

(4) सामान्यतया, संसदीय शासन-प्रणाली के अन्तर्गत राज्य का प्रधानाध्यक्ष प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद के प्रथम सदन को विघटित करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अन्तर्गत कार्यपालिका के प्रधान को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा को विघटित करने का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

5. फ्रांस में न तो पूर्णतया शक्तियों का पृथक्करण है और न ही ब्रिटेन या भारत की तरह शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत को मान्यता दी

गई है। यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है। मंत्रियों को संसद की सदस्यता से वंचित तो रखा गया है, परंतु मंत्रिगण संसद के प्रथम सदन, ~~राष्ट्रपति~~ राष्ट्रीय सभा, के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रीय सभा मंत्रियों को अविश्वास के प्रस्ताव के आधार पर हटा सकती है।

6. फ्रांस में अमेरिका तथा ब्रिटेन के विपरीत न्यायपालिका को एक अलग तथा स्वतंत्र एजेंसी नहीं माना गया है। इसे फ्रांस की प्रशासकीय शाखाओं में से एक माना गया है।

7. ब्रिटेन या अमेरिका की भाँति फ्रांस में न तो द्विदलीय पद्धति है और न दल-पद्धति का सुगठित रूप है।

फ्रांस की शासन-व्यवस्था की विचित्रताओं के कारण न तो इसे अध्यक्षात्मक कहना उचित होगा और न ही संसदीय कहना उचित होगा। फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के उद्देश्य से ही पंचम गणतंत्र के अन्तर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों में विस्तार किया गया। कई समीक्षकों ने इसे (राष्ट्रपति का संविधान) भी कहा है। राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करने के बावजूद इसमें संसदीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएँ विद्यमान हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रांस का संविधान न तो पूर्णतया अध्यक्षात्मक है और न ही पूर्णतया संसदीय। वस्तुतः यह दोनों का मिश्रण है।

—×—

By Dr. Satyaditya Singh,
Associate Prof. in Pol. Sc.,
J. M. S. College, Munger.